(147)

न्यायालय श्रीमान राजस्वमंण्डल कैम्प रीवा (म0प्र0)

1. देवदत्त द्विवेदी तनय श्री रामसजीवन द्विवेदी ग्राम खैरी, जिला रीवा म0प्र0
2. श्री मती धन कुमारी पत्नी श्री बाबूलाल सिंह ग्राम खैरी, जिला रीवा म0प्र0 ----- आवेदक

बनाम

1. शासन म0प्र0 ------ अनावेदक
2. श्रीधर द्विवेदी तनय श्री रामचन्द्र द्विवेदी स0 खैरी तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्री अपर आयुक्त महादेय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 वावत् प्रकरण क0 904/1415 आदेश दिनांक 30/05/2017 ।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी आधार निम्न है :—

1. यह कि अधीनस्त न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।
2. यह कि अधीनस्त न्यायालय की कार्यवाही (तह0 न्या0 की) पक्षपात पूर्ण थी ही अनुविभागीय अधिकारी तथा अतिरिक्त आयुक्त महोदय ने भी कतई गौर नही किया कि जब माननीय राजस्वमण्डल का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि मिस्लीनियस(मुत फर्कात) आवेदन पत्र पर कोई भी किसी भी प्रकार न्यायालयीन कार्यवाही नही की जा सकती है।
3. यह कि अधीनस्त न्यायालय ने यह भी नही देखा की जब आवेदक श्री धर के पास पुराना रास्ता कायम है तब दूसरा मार्ग क्या इस आवेदन पत्र पर नया मार्ग खुलवाया जा सकता है। इन तमाम बातो पर कतई गौर नही किया गया

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निग0 / रीवा / 2017 / 2304

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16—8—2017 | आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त रीवा के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30—5—2017 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर शासकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये गये हैं। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने विस्तार से आदेश पारित कर स्थिर रखा है। अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन पश्चात विस्तार से अपील में आदेश पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>(एस0एस0 अली)<br>सदस्य | |